

बिहार सरकार

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

कतरन संख्या
तिथि201

समाचार-पत्र का नाम

प्रभात खबर

प्रकाशन तिथि

12/06/2020

मंत्री/अपर मुख्य

विधानमंडल • राज्य सरकार ने चुनाव आयोग से किया अनुरोध

विप की खाली सीटों पर जल्द होगा चुनाव

के अवलोकनार्थ

विशेष संवाददाता > पटना

सहायक निदेशक

विधान परिषद की खाली सीटों पर जल्द चुनाव कराया जायेगा. राज्य सरकार ने इसके लिए चुनाव आयोग से अनुरोध किया है. संसदीय कार्य विभाग ने इस संबंध में मुख्य निर्वाचन कार्यालय को इस आशय का पत्र भेजा गया है. पत्र में कहा गया है कि बिहार विधान परिषद की 29 सीटें खाली पड़ी हैं. लॉकडाउन के कारण इन सीटों पर चुनाव नहीं हो पाया है. अब लॉकडाउन में ढील दी गयी है, इसलिए महाराष्ट्र की तरह यहां भी चुनाव कराया जा सकता है. सूत्र बताते हैं कि संसदीय कार्य विभाग द्वारा भेजे गये अनुरोध को मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने चुनाव आयोग को भेज दिया है. उम्मीद की जा रही है कि एक से दो

दिनों के अंदर खाली हुई 17 सीटों के लिए चुनाव की तिथियां का एलान हो सकता है. संसदीय कार्य विभाग और मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने जिन सीटों पर चुनाव कराये जाने की अनुशंसा की है, उनमें विधानसभा कोटे की नौ सीटें भी शामिल हैं. इसके अलावा पटना, दरभंगा, सारण और तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और पटना, दरभंगा, तिरहुत और कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीटें शामिल हैं. गौरतलब है कि 75 सदस्यीय बिहार विधान परिषद की 29 सीटें खाली हैं. इनमें मनोनयन कोटे की 12 सीटें भी शामिल हैं. विधान परिषद में सभापति और उपसभापति के पद भी खाली हैं. अगले महीने विधानमंडल का मौनसून सत्र संभावित है. इसके पहले खाली हुई सीटों को भरा जाना जरूरी होगा.

लॉकडाउन के कारण टल गया था चुनाव



29 सीटें खाली हैं विधान परिषद की

09 सीटें विधानसभा कोटे की खाली हैं

04 सीटें शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की

12 सीटें स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की

12 सीटें मनोनयन कोटे की खाली हैं

विधानसभा चुनाव :सीइओ के साथ आयोग ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग



बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने गुरुवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की. उन्होंने चुनाव के लेकर आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा की. मालूम हो कि राज्य में विधानसभा चुनाव को देखते हुए आयोग द्वारा राज्य से लगातार संपर्क किया जा रहा है. आयोग की दो सदस्यीय टीम भी बिहार का दौरा करनेवाली है.

12/6

(एच० आर० श्रीनिवास)